भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 357

उत्तर देने की तारीख- 05/02/2024

जनजातीय छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा

357. श्री ज्ञानेश्वर पाटिल:

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जनजातीय छात्रों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक समान पहुंच सुनिश्चित करने और उनके समक्ष पेश आ रही शैक्षणिक असमानताओं को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ख) जनजातीय छात्रों की विशिष्ट आवश्यकता और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए उनके लिए शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए क्या रणनीतियां अपनाई जा रही हैं और क्या पहल की जा रही है?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्य मंत्री

(डॉ. भारती प्रवीण पवार)

(क) तथा (ख): जनजातीय कार्य मंत्रालय जनजातीय छात्रों को उनके ही परिवेश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) की केंद्रीय क्षेत्र योजना क्रियान्वित (लागू) कर रहा है। आजादी के बाद से पहली बार, 2019 में, भारत सरकार ने जनजातीय शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया और लगभग 29,000 करोड़ रुपये के संभावित परिव्यय के साथ दूरदराज, वन क्षेत्रों, पहाड़ी और दुर्गम (कठिन) क्षेत्रों, के 50% से अधिक अजजा आबादी और कम से कम 20,000 जनजातीय व्यक्तियों (जनगणना 2011 के अनुसार) वाले प्रत्येक ब्लॉक में एक ईएमआरएस स्थापित करने का निर्णय लिया। तदनुसार, ईएमआरएस की योजना के प्रबंधन और कार्यान्वयन के लिए नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स (एनईएसटीएस), एक स्वायत्त संगठन की स्थापना की गई है। आज की तारीख तक, मंत्रालय ने कुल 694 ईएमआरएस को मंजूरी दी है, जिनमें से देश भर में 1,21,640 जनजातीय छात्रों को लाभान्वित करते हुए 402 के कार्यात्मक होने की सूचना है। ईएमआरएस योजना के तहत निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान की जाती हैं:

• जनजातीय छात्रों को निःशुल्क गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ताकि उनका सर्वांगीण विकास सुनिश्चित हो सके।

• 480 छात्रों (240 लड़कियों और 240 लड़कों) की क्षमता के साथ 6वीं से 12वीं कक्षा के स्तर तक के लिए पूर्णतः आवासीय विद्यालय।

• प्रत्येक स्कूल में कक्षाओं, प्रशासनिक ब्लॉक, प्रयोगशालाओं, छात्रावास, खेल सुविधा, कर्मचारी निवास आदि के लिए बुनियादी ढ़ांचा उपलब्ध है।

• व्यय विभाग ने शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की कुल 38480 रिक्ति के साथ प्रत्येक ईएमआरएस के लिए 52 पदों को मंजूरी दी है। भर्ती 2022-23 से 2026-27 तक चरणबद्ध तरीके से की जानी है।

• अध्ययन सामग्री और वर्दी (पहाड़ी क्षेत्रों के लिए जलवायु अनुकूलित कपड़ों सहित) निःशुल्क प्रदान की जाती है।

• नृत्य, संगीत, पेंटिंग, ट्रैकिंग, भ्रमण/एक्सपोज़र विजिट, अध्ययन दौरा जैसी पाठ्येतर गतिविधियाँ।

इसके अलावा, जनजातीय कार्य मंत्रालय अनुसूचित जनजाति आबादी के बीच बुनियादी और उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित छात्रवृत्ति योजनाएं लागू कर रहा है: -

(i) अजजा छात्रों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति (कक्षा IX और X)

(ii) अजजा छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति (कक्षा XI और ऊपर)

(iii) अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए उच्चतर शिक्षा के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति और छात्रवृत्ति।

(iv) अजजा छात्रों के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति

इन योजनाओं के तहत निधियां छात्रों के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से सीधे स्थानांतरित की जाती हैं।

इसके अतिरिक्त, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय जनजातीय बच्चों सहित सभी के लिए समग्र शिक्षा- एक एकीकृत केन्द्र प्रयोजित स्कूली शिक्षा योजना लागू कर रहा है। यह योजना शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए सहायता प्रदान करती है। योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी बच्चों को एक समान और समावेशी कक्षा वातावरण के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच प्राप्त हो, जिसमें उनकी विविध पृष्ठभूमि, बहुभाषी आवश्यकताओं, विभिन्न शैक्षणिक क्षमताओं का ध्यान रखा जाए और उन्हें सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनाया जाए।

*****